

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य की कम संख्या.....

1- परियोजना का नाम :-

मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.525तक)

7- परियोजना/स्कीम का स्थान।

बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक मो० मार्ग निर्माण।

- | | | |
|-------|---|--------------------------------------|
| i) | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | - उत्तराखण्ड राज्य |
| ii) | जिला | - उत्तरकाशी |
| iii) | वन प्रभाग | - उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी |
| iv) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | - 2.115 है० |
| v) | वन की कानूनी स्थिति | - सिविल सोयम वन भूमि |
| vi) | हरियाली का घनत्व | - 0.70 है० से कम |
| vii) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एम्०आर०एल०-8 मो० पर- परिगणना भी संलग्न किए जाए- | - वृक्षों की परिगणना सूची संलग्न है। |
| viii) | भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | - भूक्षरण की सम्भावना नहीं है। |
| ix) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | - 500 मी० की दूरी पर है। |
| x) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए)। | - नहीं है। |
| xi) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। | - नहीं है। |
| xi) | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या | - नहीं है। |

- 8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भग-1 कालम 2 में प्रस्तावित सिविल सोयम - परियोजना हेतु 2.115 है०
वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्योरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।
वन भूमि न्यूनतम है।
- 9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं। - नहीं
- 10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा-
i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। - संलग्न है।
ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। - संलग्न है।
iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यालन्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। - संलग्न है।
iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय वित्तीय परिष्यय। - संलग्न है।
v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।) - संलग्न है।
- 11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xiii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) - संलग्न है।

12-

प्रभाग / जिला प्रोफाइल

- i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र।
- ii. जिला का वन क्षेत्र।
- iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।
- iv. 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
- (ख) वनेत्तर भूमि पर अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
- (क) वन भूमि पर
- (ख) वनेत्तर भूमि पर

वन प्रभाग उत्तरकाशी
/ लो0नि0वि0 भटवाडी उत्तरकाशी।

- 801600 हे0
- 695783.35 हे0
- 347 मानले 1201.63376 हे0
- रिक्त।
- 487.50 है।
- रिक्त।
- 487.50 हे0

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश जाती है।

कार्यवाही संस्था द्वारा वन सम्पदा की सुरक्षा हेतु समुचित प्रयास किये जायेंगे। जनहित में संस्तुति की

दिनांक- 11-3-2015

स्थान- उत्तरकाशी।


प्रभाष वनाधिकारी
उपवन संरक्षक प्रभाग
उत्तरकाशी प्रभाग, उत्तरकाशी

